परिशिष्ट 'ब'

राजस्थान सरकार
देवस्थान विभाग
<u>प्रस्तावित</u> वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, 2022

1.	**योजना का नाम :–**	वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, 2022
2.	**योजना प्रारंभ वर्ष :–**	वर्ष 2013 से रेल तथा वर्ष 2016 से रेल एवं हवाई यात्रा सम्मिलित की गई।
3.	**योजना का उद्धेश्य व संक्षिप्त विवरण :–**	इस योजना का उद्धेश्य राजस्थान के मूल निवासी वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष या अधिक आयु के व्यक्ति) को उनके जीवन काल में एक बार देश/देश के बाहर स्थित विभिन्न निर्दिष्ट तीर्थ स्थानों में से किसी एक स्थान की यात्रा सुलभ कराने हेतु राजकीय सुविधा एवं सहायता प्रदान करना है।
4	**तीर्थ यात्रा हेतु अनुदान राशिः–**	स्वयं विभाग द्वारा यात्रा का आयोजन तथा निर्धारित यात्रा का व्यय
5.	**योजना में कुल लाभार्थियों की विभागीय सीमाः–**	**18000, रेलमार्ग से।** **2000, वायुयान मार्ग से।** इसमें आयुक्त,देवस्थान विभाग द्वारा तीर्थ स्थल हेतु आवदेकों की संख्या तथा यात्रा की संभावना के आधार पर उक्त संख्या तथा अनुपात में परिवर्तन किया जा सकेगा।
6.	**तीर्थ स्थानों की सूची :–**	यात्रा हेतु तीर्थ स्थान इस प्रकार है :– **रेल द्वारा :–** 1. रामेश्वरम्–मदुरई 2. जगन्नाथपुरी 3. तिरूपति 4. द्वारकापुरी–सोमनाथ 5. वैष्णोदेवी–अमृतसर 6. प्रयागराज–वाराणसी 7. मथुरा–वृंदावन 8. सम्मेदशिखर–पावापुरी 9. उज्जैन–ओंकारेश्वर 10. गंगासागर (कोलकत्ता) 11. कामाख्या (गुवाहटी) 12. हरिद्वार– ऋषिकेश 13. बिहार शरीफ 14. वेलनकानी चर्च (तमिलनाडू) **हवाई जहाज द्वारा :–** 1. पशुपतिनाथ–काठमाण्डु(नेपाल) **नोट :–** उक्त सूची में देवस्थान विभाग द्वारा कुछ स्थानों को आवश्यकतानुसार बाद में भी सम्मिलित अथवा कम किया जा सकेगा। तीर्थ यात्रा हेतु निर्धारित प्रस्थान स्थल भी विज्ञप्ति में वर्णित होंगे। विषम परिस्थिति में प्रस्थान/ गंतव्य स्थल परिवर्तित करने का अधिकार आयुक्त, देवस्थान विभाग को होगा।
7.	**यात्रा पर जाने के लिये पात्रता :–**	इस योजना के अन्तर्गत आवेदक को निम्नलिखित शर्तें पूर्ण करनी होगी– 1. राजस्थान का मूल निवासी हो एवं 60 वर्ष से अधिक आयु का हो।**(60 वर्ष आयु की गणना 1 अप्रैल, 2022 को आधार मान कर की जायेगी) अर्थात आवेदक का जन्म 01 अप्रेल 1962 से पूर्व का हो।** 2. आयकरदाता न हो। 3. आवेदक द्वारा पूर्व में देवस्थान विभाग राजस्थान सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना का लाभ न उठाया गया हो। 4. इस योजना के अन्तर्गत पूर्व में यात्रा न किये जाने जाने संबंधी आशय का स्वः घोषणा पत्र यात्री को देना होगा। यदि किसी भी समय यह पाया गया कि यात्री द्वारा इस शर्त का उल्लघन किया गया है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। 5. भिक्षावृत्ति पर जीवन यापन करने वाले योजना के पात्र नहीं होंगे। 6. यात्रा हेतु शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम हो और किसी संक्रामक रोग यथा टी0बी0,कांजेस्टिव कार्डियक, श्वांस में अवरोध संबंधी बीमारी, **Coronary** अपर्याप्तता, **Coronary thrombosis** मानसिक व्याधि, संक्रामक कुष्ठ आदि से ग्रसित न हो।

		7. यात्री के कोविड–19 टीकाकरण की दोनो डोज लगा होना स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयुक्त होगा। 8. वरिष्ठ नागरिक को आवेदन पत्र के साथ चिकित्सा अधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह व्यक्ति प्रस्तावित यात्रा हेतु शारीरिक रूप से स्वस्थ एवं सक्षम है। (यह प्रमाण पत्र आवेदन पत्र भरते समय अपलोड किया जाना है) 9. जिन आवेदको द्वारा विगत वर्षो में उक्त योजना के अन्तर्गत आवेदन तो किया है, किन्तु उनका नम्बर उक्त योजना में यात्रा हेतु चयन नही हुआ है, वे आवेदन करने के पात्र होंगे। 10. रेल एवं हवाई यात्रा के दौरान बर्थ रिक्त रहने की परिस्थिति में आवश्यकता अनुसार ऐसे इच्छुक पात्र व्यक्ति जिन्होने आवेदन किया हो, लेकिन अन्यथा यात्रा के पात्र है ऐसे व्यक्ति को रिक्त रही सीटो पर यात्रा पर जाने हेतु संपूर्ण रेकर्ड एवं आन लाईन इन्द्राज कराने के उपरान्त अनुमत करने का अधिकार आयुक्त, देवस्थान विभाग को होगा। 11. केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र व राज्य सरकार के उपक्रम/स्थानीय निकाय से सेवानिवृत कर्मचारी/अधिकारी एवं उनके जीवन साथी यात्रा के पात्र होंगे इसके साथ–साथ प्रदेश के भारत के सैन्य बलों, अर्द्ध सैन्य बलों व पुलिस बलों से सेवानिवृत संबंधित राजस्थान राज्य के पात्र वरिष्ठजन भी यात्रा में सम्मिलित किए जा सकेगें किन्तु उक्त सेवा के सेवानिवृत कर्मचारी अर्द्ध सैनिक बल के वरिष्ठजन योजना की अन्य शर्तो की पूर्ति करने पर ही यात्रा के लिए पात्र होगें। इस श्रेणी के आवेदक आयकरदाता नहीं होने चाहिए। 12. वे आवेदक जो विगत वर्षो में लॉटरी में चयनित हो चुके थे, लेकिन यात्रा के लिए आमंत्रित किये जाने के बाद भी उनके द्वारा यात्रा सम्पन्न नहीं की गई, ऐसे पूर्व आवेदक भी इस योजना में पात्र नहीं होगें।
8.	**निर्हता (अपात्रता) :–**	1. ऐसा व्यक्ति जिसने देवस्थान विभाग की इस योजना में पूर्व में यात्रा कर रखी हो या जिसका लॉटरी में चयन हो जाने के बावजूद स्वैच्छिक रूप से यात्रा पर नहीं गया हो तो वह व्यक्ति इस वर्ष यात्रा हेतु पात्र नही होगा। 2. यदि यह पाया गया कि आवेदक/यात्री ने असत्य जानकारी देकर या किसी ऐसें तथ्यों को छुपाकर आवेदन किया है जो उसे अन्यथा यात्रा हेतु अयोग्य बता देते है तो उसे किसी भी समय योजना के लाभों से वंचित किया जा सकेगा। 3. बिन्दु 15 में वर्णित शर्तो के उल्लंघन पर भी आवेदक/ यात्री को योजना के लाभों से वंचित किया जा सकेगा। 4. बिन्दु 8(1) एवं (2) के अन्तर्गत निरर्ह व्यक्ति को भविष्य में आवेदन के लिये भी निरर्ह घोषित किया जा सकेगा एवं योजना के लाभ से वंचित रहेगा।
9.	**मूल आवेदक के साथ जीवन साथी/सहायक की यात्रा के सम्बन्ध प्रावधान :–**	1. आवेदक अपने साथ जीवन साथी अथवा सहायक में से किसी एक को ले जाने हेतु अनुमत होगा। परन्तु आवेदन करते समय ही आवेदक को अपने आवेदन में ही बताना होगा कि उसका जीवन–साथी/सहायक भी यात्रा करने का इच्छुक है। 2. आवेदक के जीवन साथी की आयु 60 वर्ष से कम होने पर भी आवेदक के साथ यात्रा कर सकेगा/सकेगी। 3. पति/पत्नी के साथ –साथ यात्रा करने पर सहायक को साथ ले जाने की सुविधा नहीं रहेगी। किन्तु पति–पत्नी दोनो की आयु 75 वर्ष से अधिक होने की स्थिति में आयुक्त देवस्थान द्वारा सहायक अनुमत किया जा सकेगा। 4. यात्रा में सहायक को ले जाने की सुविधा तभी प्राप्त होगी जब–यदि आवेदक की आयु 70 वर्ष से अधिक है तथा उसने अकेले रेल यात्रा हेतु

		आवेदन किया है। हवाई यात्रा में सहायक का प्रावधान नही रहेगा, **किन्तु मूल आवेदक पत्नी अथवा पति के होने की स्थिति में पति/पत्नि यात्रा में जाने के लिये अनुमत होंगे।** 5. यदि आवेदक विशिष्ट योग्यजन श्रेणी के अन्तर्गत आता है तो भी आवेदक को आयुक्त, देवस्थान विभाग द्वारा सहायक अनुमत किया जा सकेगा। 6. रेल यात्रा में सहायक का यात्री का संबंधी होना आवश्यक है। विशेष परिस्थितियों में अन्य व्यक्ति को भी सहायक के रूप में अनुमत करने का आयुक्त को अधिकार रहेगा। 7. सहायक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से अधिकतम 50 वर्ष होनी चाहिए। सहायक को यात्रा पर ले जाने की दशा में उसे भी उसी प्रकार की सुविधा प्राप्त होगी, जो कि यात्री को अनुज्ञेय है।
10.	**आवेदन की प्रक्रिया :–**	1. आवेदन देवस्थान विभाग के पोर्टल पर दिये लिंक के माध्यम से केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। **2. आवेदक व उसके साथ जाने वाले सहायक अथवा पति–पत्नि दोनों के पास जनआधार कार्ड अवश्य होना चाहिए।** 3. आवेदन पत्र में अपनी पसंद के तीन तीर्थ–स्थल वरीयता क्रम (**Preference**) में अंकित किया जाए। 4. आवेदन के उपरांत उसकी प्रिंटेड प्रति सुविधा हेतु रख लें। **नोट :–** आवेदकों को सलाह दी जाती है कि आवेदन से पूर्व ही जनआधार हेतु पंजीयन की कार्यवाही पूर्ण कर लें। इससे आवेदक को फोटो व दस्तावेज अपलोड करने व अन्य विवरण भरने की आवश्यकता नहीं रहेगी।
11.	**आवेदन व पात्रता संबंधी अन्य मुख्य शर्ते व प्रावधान :–**	1. आवेदक को आवेदन में किन्हीं दो नाम निर्देशितियों के नाम, मोबाइल नम्बर एवं अन्य विशिष्टियों का विवरण भी देना होगा, जिनसे किसी आपात स्थिति में उनसे तुरन्त संपर्क किया जा सके। **(उक्त सम्पर्क सूत्र यात्रा के पूर्व तक स्वतः अपडेट करने की सुविधा विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी।)** 2. यात्रियों का चयन जिला मुख्यालय पर जिला स्तरीय कमेटी द्वारा लॉटरी से किया जाएगा। चयनित यात्रियों की सूची जिला कलक्टर कार्यालय तथा देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त कार्यालस व वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। 3. चयनित यात्री को यात्रा से पूर्व स्वास्थ्य संबंधी निर्धारित चिकित्सकीय प्रमाण–पत्र **बिन्दु संख्या–7 (7)** अनुसार प्राप्त कर यात्रा के समय पेश करना होगा। 4. चयन के उपरान्त यदि किसी कारणवश आवेदक तीर्थयात्रा नहीं करता, तो उसे विभाग द्वारा निर्धारित हेल्पलाइन पर समय से पूर्व सूचना देनी आवश्यक होगी, अन्यथा उसे भविष्य में इस योजना हेतु पात्र नहीं माना जायेगा।
12.	**चयन की प्रक्रिया :–**	यात्रियों का चयन जिला स्तर पर गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा निम्न लिखित प्रक्रिया के अन्तर्गत किया जावेगा– 1. प्रत्येक स्थान की यात्रा हेतु जिलावार कोटा निर्धारित किया जायेगा, जिसमें आवेदकों की संख्या के साथ उस जिले की जनसंख्या के अनुपात को अधिभार देते हुए कोटा निर्धारित किया जायेगा, यदि निर्धारित कोटे से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होते हैं, तो लॉटरी **(कम्प्यूटराईज्ड ड्रॉ ऑफ लॉट्स)** द्वारा यात्रियों का चयन किया जायेगा, जो मूल चयन सूची होगी। कोटे के **100%** अतिरिक्त व्यक्तियों की **प्रतीक्षा सूची (WatingList)** भी बनायी जायेगी। शेष अन्य पात्र आवेदकों की भी **100%** यात्रियो की **अतिरिक्त आरक्षित सूची (Additional Wating List)** भी बनायी जा

		सकेगी ताकि बर्थ रिक्त नहीं जावे। 2. चयन सूची में मूल चयनित यात्री के यात्रा पर न जाने की स्थिति में प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित व्यक्ति को यात्रा पर भेजा जा सकेगा। इसमें भी यात्री कम पड़ने पर अतिरिक्त आरक्षित सूची से बुलाया जा सकेगा, प्रतिक्षा सूची एवं अतिरिक्त आरक्षित सूची में से यात्रा हेतु चयन मूल चयन सूची में से यात्रियों के उपलब्ध न होने पर ही किया जायेगा। इसके पश्चात भी रेल एवं हवाई यात्रा में सीटे रिक्त रहने की स्थिति में योजना के **बिन्दु संख्या–7 (9)** में वर्णित पात्र व्यक्तियों को आयुक्त की अनुमति से शामिल किया जा सकेगा। 3. लॉटरी निकालते समय आवेदक के .साथ उसकी पत्नि अथवा पति या सहायक को एक मानते हुऐ लॉटरी निकाली जायेगी एवं लॉटरी में चयन होने पर यात्रा के लिये उपलब्ध बर्थ/सीटों में से उतनी संख्या कम कर दी जायेगी। 4. रेल एवं हवाई यात्रियों की लॉटरी एक साथ निकाली जायेगी, सबसे पहले हवाई यात्रा हेतु लॉटरी निकाली जायेगी, उसके उपरान्त शेष में से रेल यात्रा हेतु यात्रियों का चयन किया जायेगा। 5. चयनित यात्रियों एवं प्रतीक्षा सूची को देवस्थान विभाग के पोर्टल, जिला कलक्टर कार्यालय एवं देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर एवं अन्य ऐसे माध्यम से जो उचित समझे जाए, प्रसारित किया जायेगा। 6. केवल वह व्यक्ति ही जिसका चयन किया गया है, यात्रा पर जा सकेगा। वह अपने साथ अन्य किसी व्यक्ति को नहीं ले जा सकेगा।
13.	**यात्रा की प्रक्रिया :–**	**यात्रा की सामान्य प्रक्रिया :–** 1. जिला कलक्टर द्वारा चयनित यात्रियों की सूची सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग को सौंपी जायेगी। 2. विभाग द्वारा यात्रा हेतु अधिकृत ऐजेन्सी/संवेदक को उक्त चयनित यात्रियों की सूची सौंपी जायेगी। 3. निर्धारित ऐजेन्सी/संवेदक यात्रियों के समूह को यात्रा पर ले जाने की व्यवस्था करेगी। 4. यात्रियों के यात्रा का समुचित व्यय एवं उन्हें उपलब्ध कराये जाने वाली सुविधाओं का विनिश्चय राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। 5. यात्री एवं सहायक अपने निवास स्थल से विभाग द्वारा निर्धारित रेलवे स्टेशन/हवाई अड्डे पर अपने व्यय से पुहंचेगा तथा विभाग के निर्धारित कांउटर पर रिपोर्ट करेगा। **(अ) रेल द्वारा यात्रा :–** 1. यात्रियों के साथ अनुरक्षक(एस्कॉर्ट) के रूप में देवस्थान विभाग/राज्य सरकार के अन्य विभागों विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को भेजा जायेगा। इन विभागों के कर्मचारियों के उपलब्ध नही होने की स्थिति में राजकीय निगम/ मण्डल/ आयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों को भी भेजा जा सकेगा। उक्त व्यवस्था पर होने वाला व्यय राज्य सरकार वहन करेगी। प्रत्येक ट्रेन में एक राजपत्रित अधिकारी ट्रेन प्रभारी के रूप में लगाया जायेगा। आयुक्त, देवस्थान विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार अतिरिक्त रूप से अपने विभागीय कार्मिक ट्रेन प्रभारी भी लगाये जा सकेगें। इसके अतिरिक्त प्रत्येक कोच में दो अनुरक्षक की दर से कुल 30 अनुरक्षक, एक चिकित्सा अधिकारी, दो नर्सिंग स्टॉफ, 1+4 का सुरक्षा जाप्ता तथा पृथक से एक पेन्ट्री इंचार्ज रखा जायेगा। उक्त सभी स्टॉफ ट्रेन प्रभारी के पर्यवेक्षण में ड्यूटी देंगे तथा किसी भी प्रकार की ड्यूटी में लापरवाही होने पर ट्रेन

		प्रभारी के माध्यम से देवस्थान विभाग को सूचित करेंगे। **2.** एक बार यात्रा शुरू करने पर यात्री यदि बीच में यात्रा छोड़ना चाहेगा, तो उसे ऐसी सुविधा सरकार की ओर से नहीं दी जायेगी। तथा विशेष परिस्थितियों में यात्रा बीच में छोड़ना आवश्यक हो तो साथ में मौजूद प्रभावी अधिकारी एवं अनेदशक की आज्ञा से अपने स्वयं के व्यय पर ऐसा करना अनुमत होगा। **(ब) हवाई जहाज द्वारा यात्रा :–** 1. यात्रियों के साथ अनुरक्षक(एस्कॉर्ट) के रूप में देवस्थान विभाग/ संभागीय आयुक्त/ जिला कलेक्टर्स के माध्यम से प्राप्त सूची अनुसार अधिकारियों/कर्मचारियों को भेजा जायेगा। इन विभागों के कर्मचारियों के उपलब्ध नही होने की स्थिति में अन्य विभागों एवं राजकीय निगम/मण्डल/आयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों को भी भेजा जा सकेगा। उक्त व्यवस्था पर होने वाला व्यय राज्य सरकार वहन करेगी। प्रत्येक हवाई यात्रा में 40 यात्रियों के समुह पर एक अधिकारी/कार्मिक अनुरक्षक के रूप में लगाया जायेगा। 40 से अधिक 80 यात्री तक के समुह में 2 अनुरक्षक तथा 80 से अधिक यात्री होने पर 3 अनुरक्षक लगाये जायेगें। उक्त अनुरक्षक यात्रा के दौरान देवस्थान विभाग के निर्धारित कन्ट्रोल रूम में उपस्थित अधिकारी/कार्मिक के सम्पर्क में रहेगें तथा यात्रा पश्चात यात्रा की रिपोर्ट मय यात्रियों के फिडबेक देवस्थान विभाग को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त एक अनुरक्षक ऐजेन्सी का भी यात्रा में साथ रहेगा। एक से अधिक अनुरक्षक कार्यरत् होने पर सबसे वरिष्ठ या विभाग द्वारा नामित अनुरक्षक प्रभारी के रूप में कार्य करेंगे। अनुरक्षक नियुक्ति में आयुक्त देवस्थान का निर्णय अंतिम होगा। पर्यवेक्षक हेतु शासन द्वारा आवश्यकतानुसार पर्यवेक्षक अधिकारी बनाये जा सकेगें। 2. हवाई यात्रा में चयन होने पर यात्रियों को निर्धारित तीर्थ स्थान के नजदीकी एयरपोर्ट तक हवाई जहाज द्वारा तथा वहां से तीर्थ स्थान तक बस/अन्य उपलब्ध साधन द्वारा यात्रा करवाई जायेगी। **नोट :– सभी तीर्थ यात्रियों को यात्रा हेतु निर्धारित प्रस्थान स्थल (रेलवे स्टेशन/एयरपोर्ट) तक स्वयं के व्यय से पहुंचना होगा।**
14.	**यात्रियों के समूह :–**	यात्रा केवल सामूहिक रूप से आयोजित की जायेगी। उक्त समूहों का निर्धारण राज्य सरकार अथवा सरकार द्वारा अधिकृत प्राधिकारी/ऐजेन्सी द्वारा किया जायेगा। किसी तीर्थ स्थान की यात्रा के लिए सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम संख्या में यात्री उपलब्ध होने पर ही यात्रा प्रारंभ की जायेगी। योजना के अन्तर्गत चयन होने मात्र से ही किसी व्यक्ति को यात्रा कराने हेतु राज्य सरकार बाध्य नही होगी।
15.	**अन्य व्यक्तियों के यात्रा करने पर प्रतिबन्ध :–**	केवल वह व्यक्ति ही जिसका चयन इस योजना के अन्तर्गत यात्रा हेतु किया गया है, इस यात्रा पर जा सकेगा। वह अपने साथ अन्य किसी व्यक्ति को, भले ही वह यात्रा का व्यय देने हेतु तैयार हो, यात्रा में साथ नही ले जा सकेगा। ट्रेन एवं वाहनों में केवल चयनित व्यक्ति ही यात्रा करेगा और एक सीट/बर्थ पर केवल एक ही व्यक्ति यात्रा करेगा।
16.	**अतिरिक्त व्यय के संबंध में :–**	यदि कोई यात्री, यात्रा के दौरान देवस्थान विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्डों/ सुविधाओं के अतिरिक्त सुविधायें प्राप्त करना चाहता है तो उसका भुगतान उसे स्वयं कर अपने स्तर पर व्यवस्था करनी होगी।
17.	**यात्रा के दौरान यात्रियों से अपेक्षाऐं :–**	1. यात्री किसी तरह के ज्वलनशील पदार्थ या मादक पदार्थ किसी भी रूप में साथ नही ले जा सकेंगे। 2. यात्री तीर्थ की मर्यादा के अनुसार आचरण करेंगे, ताकि प्रदेश की छवि अन्यथा प्रभावित न हों।

		3. यात्री अपने निर्धारित सम्पर्क अधिकारी/ प्रभारी अधिकारी के निर्देशों का पालन करेंगे। 4. यात्रियों द्वारा उपरोक्त आचार संहिता के पालन करने संबंधी आशय का शपथ पत्र दिया जायेगा। 5. यात्री को विभाग की निर्धारित व्यवस्था में सहयोग करना होगा तथा अनुशासन में सहयोग करना अपेक्षित होगा। कोई यात्री एसी हरकते नहीं करेगा जिससे साथी अन्य यात्री को असुविधा हो। 6. सामान्यतः रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक बर्थ पर शयन का समय होगा तथा यात्री अपनी-अपनी बर्थ पर शयन करेगा। विभागीय आवश्यकतानुसार इस समय में किंचित बदलाव भी किया जा सकेगा।
18.	**यात्रा के दौरान अप्रत्याशित परिस्थितियाँ :-**	यात्रा के दौरान होने वाली किसी दूर्घटना अथवा कठिनाई के लिये राज्य शासन अथवा उसका कोई अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी नही होगा।
19.	**योजना का व्यय :-**	योजना के क्रियान्वयन हेतु व्यय (बजट सीमा तक) जिसमें यात्रा व्यय, अन्य प्रशासनिक व्यय तथा परिवहन, दूरभाष, विज्ञापन, प्रचार-प्रसार, सूचना एवं प्रौधोगिकी, मेन विथ मशीन तथा सॉफ्टवेयर विकास, व्यवसायिक एवं परामर्श सेवायें प्राप्त करना, सत्कार व्यय तथा यात्री बीमा व्यय आदि सम्मिलित हैं, करने के लिये आयुक्त, देवस्थान विभाग सक्षम होंगे।
20.	**संचालन :-**	योजना के दिन प्रतिदिन संचालन/मोनिटरिंग हेतु एक राज्य स्तरीय प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति देवस्थान विभाग द्वारा की जाएगी। जिन्हें योजना के संचालन हेतु आवश्यक प्रशासनिक शक्तियां होगी। साथ ही योजना के प्रभावी एवं समय पर संचालन, प्रबंधन एवं फीडबैक हेतु एक PMU (Project Monitering Unit) का गठन किया जायेगा, जिसका व्यय योजना की प्रशासनिक मद से अनुमत होगा।
21.	**परिभाषाऐं :-**	इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो- (अ) **"तीर्थ स्थान"** से तात्पर्य उस स्थान/स्थानों से है जो कि देवस्थान विभाग द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किये जायें। (ब) **"यात्रा"** से तात्पर्य बिन्दु 6 में उल्लेखित स्थान की यात्रा एवं उक्त स्थान की यात्रा के लिये की गई अनुषांगिक यात्राओं से है। (स) **"यात्री"** से तात्पर्य उस व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह से है जो बिन्दु 6 में उल्लेखित स्थान/ स्थानों की यात्रा प्रारंभ करता है। (द) **"आवेदक"** से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति/ व्यक्तियों के समूह से है जो कि बिन्दु 6 में उल्लेखित स्थान की यात्रा करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करता है। (य) **"सहायक"** से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो कि 70 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के आवेदक के साथ यात्रा पर जाता है। सहायक की पात्रता आयु न्यूनतम 21 वर्ष से अधिकतम 50 वर्ष होगी। (र) **"कोटा"** से तात्पर्य यात्रियों की उस संख्या से है जो राज्य सरकार/ देवस्थान विभाग राज्य, जिला स्तर अथवा अन्य प्रकार से निर्धारित करें। (ल) **"ऐजेन्सी"** से तात्पर्य उस संस्था अथवा संगठन से है जिसका चयन देवस्थान विभाग इस नियम के अन्तर्गत यात्राऐं आयोजित करने हेतु करे। प्रथमतः आई.आर. सी.टी.सी. के पैकेज के अनुसार यात्रियों को भेजा जावेगा। (व) **"संचालक"** से तात्पर्य उस ऐजेन्सी से है जिसे योजना के संचालन हेतु देवस्थान विभाग द्वारा अधिकृत किया जावे। (स) **"जीवन साथी"** से तात्पर्य यात्री की पत्नि अथवा पति से है। (श) **"अनुरक्षक(एस्कॉर्ट)"** से तात्पर्य उस अधिकारी/कर्मचारी से है जो आवेदक/ आवेदकों के साथ देवस्थान विभाग द्वारा यात्रा पर भेजा जावेगा।
22.	**तीर्थ यात्रा योजना हेतु राज्य स्तर पर प्रबंध**	विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा हेतु यात्रियों की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्धेश्य से राज्य स्तर पर देवस्थान विभाग, राजस्थान सरकार समुचित व्यवस्थाऐं

<table>
<tr><td></td><td>व्यवस्था :–</td><td>सुनिश्चित करेगा।

1. इस हेतु राज्य स्तर पर वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा समिति का गठन किया जायेगा।
2. उक्त समिति में निम्नानुसार सदस्य/उनके प्रतिनिधि सदस्य होंगे–
<table>
<tr><td>I</td><td>देवस्थान मंत्री</td><td>अध्यक्ष</td></tr>
<tr><td>II</td><td>राज्य मंत्री/उपमंत्री</td><td>सह अध्यक्ष</td></tr>
<tr><td>III</td><td>अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव गृह विभाग</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>IV</td><td>अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव, देवस्थान विभाग</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>V</td><td>अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>VI</td><td>अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव, पर्यटन</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>VII</td><td>अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव, अल्प संख्यक मामलात्</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>VIII</td><td>आयुक्त, देवस्थान विभाग</td><td>सदस्य–सचिव</td></tr>
</table>
अध्यक्ष किसी भी अन्य विभाग के अधिकारी को आवश्यकतानुसार बुला सकेंगे। समिति के किसी सदस्य की अनुपस्थिति के कारण समिति की कार्यवाही को प्रश्नगत नही किया जायेगा।</td></tr>
<tr><td>23.</td><td>तीर्थ यात्रा योजना हेतु देवस्थान विभाग, राजस्थान सरकार के कर्तव्यः–</td><td>1–राज्य सरकार निम्नलिखित कर्तव्यों का निर्वहन करेगीः–
<table>
<tr><td>अ</td><td>वरिष्ठ नागरिकों की यात्राओं के लिये आवश्यक और उपयोगी जानकारी का संग्रहण एवं प्रचार–प्रसार।</td></tr>
<tr><td>ब</td><td>यात्रियों की शिकायतों/ समस्याओं को स्थानीय अधिकारियों के ध्यान में लाकर उनका निराकरण करना।</td></tr>
<tr><td>स</td><td>यात्रियों की सुविधा के उद्धेश्य से अन्य आवश्यक कार्य करना एवं सुझाव देना।</td></tr>
<tr><td>द</td><td>अन्य कार्य जो समय–समय पर सरकार द्वारा सौंपे जाये।</td></tr>
<tr><td>य</td><td>यात्रा योजना का सुदृढ़ीकरण हेतु सूचना एवं प्रौधोगिकी तथा मेन विथ मशीन के माध्यम से संबंधित सॉफ्टवेयर विकास तथा प्रभावी फिडबेक मेकेनिज्म तैयार करवाया जाना।</td></tr>
</table>
2– समिति अपने कर्तव्यों की पूर्ति के लिये समय–समय पर उप समितियाँ बना सकेगी।</td></tr>
<tr><td>24.</td><td>तीर्थ यात्रा योजना हेतु जिला स्तर पर प्रबंध समिति :–</td><td>वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना हेतु जिला स्तर पर चयन, लॉटरी एवं समुचित प्रबंध व्यवस्था हेतु राज्य सरकार एक समिति गठित करेगी जिसमें जिला स्तर के निम्न सदस्य सम्मिलित होंगे–
<table>
<tr><td>1.</td><td>प्रभारी मंत्री/प्रभारी सचिव, संबंधित जिला</td><td>–</td><td>अध्यक्ष</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>जिला कलक्टर</td><td>–</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>पुलिस अधीक्षक/उपायुक्त(मु0)</td><td>–</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद</td><td>–</td><td>सदस्य–सचिव</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>मुख्यचिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी</td><td>–</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>सहायक निदेशक, पर्यटन विभाग</td><td>–</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग</td><td>–</td><td>सदस्य</td></tr>
</table>
जिले के प्रभारी मंत्री/प्रभारी सचिव की अनुपस्थिति में संबंधित जिला कलक्टर, समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे।
समिति के किसी सदस्य की अनुपस्थिति के कारण समिति की कार्यवाही को</td></tr>
</table>

		प्रश्नगत नही किया जायेगा।
25.	**तीर्थ यात्रा योजना हेतु जिला स्तर पर प्रबंध समिति के कर्तव्यः—**	1— जिला स्तरीय प्रबंध समिति निम्नलिखित कर्तव्यों का निर्वहन करेगीः— (अ) यात्रियों का चयन, लॉटरी एवं सूची की तैयारी का कार्य इसी समिति द्वारा किया जावेगा। (ब) वरिष्ठ नागरिकों की यात्राओं के लिये आवश्यक उपयोगी जानकारी का संग्रहण एवं प्रचार— प्रसार। (स) यात्रा के दौरान् आयुक्त देवस्थान के निर्देशानुसार सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी दलों की नियुक्ति। (द) यात्रियों की शिकायतों/समस्याओं को स्थानीय अधिकारियों के ध्यान में लाकर उनका निराकरण करना। (य) यात्रियों की सुविधा के उद्धेश्य से अन्य आवश्यक कार्य करना एवं सुझाव देना। (र) अन्य कार्य जो समय—समय पर राज्य सरकार/देवस्थान विभाग द्वारा सौंपे जावें।
26.	**अन्य :—**	उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं में प्रावधान होते हुऐ भी योजना के क्रियान्वयन हेतु संसाधनों की उपलब्धता सुलभ कराने एवं प्रशासनिक निर्णय, जिमें वित्तीय व्यय भी सम्मिलित हैं के लिये आयुक्त देवस्थान विभाग अधिकृत होंगे।
27.	**योजना का निर्वचन :—**	उक्त विवरण केवल सरल संकेतक है। योजना संबंधी अन्य शर्तो, प्रावधानों के लिये मूल विभागीय आदेश व परिपत्रों का अवलोकन करें। विभाग द्वारा नियमों के अध्यधीन उपनियम बनाए जा सकेंगे। योजना संबंधी किसी भी बिन्दु पर समस्या समाधान आयुक्त कार्यालय देवस्थान विभाग, उदयपुर से किया जा सकेगा। इस योजना के किसी भी दिशा निर्देश, आदेश की व्याख्या के लिये देवस्थान विभाग राजस्थान सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा।